संख्या-102/2024/I/806844/2024/71-2005-001-31-2023

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0,

लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 27 नवम्बर, 2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में पुनर्विनियोग के माध्यम से क्षेत्रीय नेत्र संस्थान, नेत्र चिकित्सालय, सीतापुर के एम0एस0 आप्थलमोलॉजी के छात्र/छात्राओं के वेतन (स्टाइपेन्ड) दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2024-25/284, दिनांक 15.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान, नेत्र चिकित्सालय, सीतापुर हेतु मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान, नेत्र चिकित्सालय, सीतापुर हेतु शासनादेश संख्या-A071-20242025-71-2005-001-31-2023-1, दिनांक 20 नवम्बर, 2024 (बी0एम0-9 प्रपत्र संलग्न) के अनुसार चिकित्सालय में विद्यमान देयता के भुगतान हेतु मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 500.00 लाख (रूपये पॉच करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग वित्तीय वर्ष 2024-25 में नहीं की जाएगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।

(3) स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 31 मार्च, 2025 तक कर लिया जायेगा।

(4) धनराशि के आहरण हेतु बिलों को प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीतापुर को प्राधिकृत किया जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं रखा जाएगा।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210011100801 नेहरू इन्स्टीट्यूट आफ आप्थलमोलॉजी एण्ड रिसर्च सीतापुर को अनुदान मानक मद 31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-102/2024/।/806844/2024/71-2005-001-31-2023, दिनांक-27 नवम्बर, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
(3) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
(4) नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग।
(5) कोषाधिकारी, सीतापुर।
(6) निदेशक/सचिव, नेहरू इंस्टीटयूट आफ आप्थमोलॉजी एण्ड रिसर्च, सीतापुर।
(7) मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर।
(8) वित्त ई-3
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन स्वीकृति /

(संदर्भ बजट मैनुअल : का प्रस्तर -158)

A071-20242025-71-2005-001-31-2023-1

विषय:- क्षेत्रीय नेत्र संस्थान, नेत्र चिकित्सालय, सीतापुर के एम0एस0 आप्थलमोलॉजी के छात्र/छात्राओं के वेतन (स्टाइपेन्ड) दिये जाने के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210051050321 (राजकीय मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर)	03 (मंहगाई भता)	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	-1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	-	2024-2025
031	2210051050321 (राजकीय मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर)	01 (वेतन)	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	-2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	-	2024-2025
031	2210051050321 (राजकीय मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर)	08 (कार्यालय व्यय)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	-10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	-	2024-2025
031	2210051050321 (राजकीय मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर)	12 (कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	-10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	-	2024-2025
031	2210051050321 (राजकीय मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर)	06 (अन्य भत्ते)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	-10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	-	2024-2025
031	2210051050321 (राजकीय मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर)	29 (अनुरक्षण)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	-10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	-	2024-2025
031	2210051050321 (राजकीय मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर)	42 (अन्य व्यय)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	-10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	-	2024-2025
031	2210051050321 (राजकीय मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर)	46 (कम्प्यूटर हार्डवेयर/सा फ्टवेयर का क्रय)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	-10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	-	2024-2025
031	2210051050321 (राजकीय मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर)	55 (मकान किराया भता)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	-10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	-	2024-2025
031	2210051050321 (राजकीय मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	1,30,00,000 रुपये एक करोड़ तीस लाख मात्र	1,30,00,000 रुपये एक करोड़ तीस लाख मात्र	-1,30,00,000 रुपये एक करोड़ तीस लाख मात्र	1,30,00,000 रुपये एक करोड़ तीस लाख मात्र	-	2024-2025

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210011100801 (नेहरू इन्स्टीट्यूट आफ आप्थलमोलॉजी एण्ड रिसर्च सीतापुर को अनुदान)	31 (सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन))	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	6,00,00,000 रुपये छः करोड़ मात्र	2024-2025

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, बलरामपुर हेतु उक्तानुसार प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 500.00 लाख की बचत सम्भावित है।

2- स्तम्म-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

क्षेत्रीय नेत्र संस्थान, सीतापुर के पत्र संख्या-आर0आई0ओ0/2024/920 दिनाक 25.07.2024 द्वारा संस्थान के एम0एस0 आप्थलमोलॉजी के 2021-22 बैच के 12, 2022-23 बैच के 14 एवं 2023-24 बैच के 14, अर्थात कुल 40 छात्र/छात्राओं को दिनाक 17.08.2023 से दिनांक-31.03.2024 तक स्टाईपेन्ड भुगतान किये जाने एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्टाईपेन्ड भुगतान किये जाने के दृष्टिगत मानक मद-31- सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में उपलब्ध बचत के अनुसार रु0 500.00 लाख का पुनर्विनियोग प्रस्तावित है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या: आर ई-बजट-1-134-2024-25, दिनांक- 20 नवम्बर, 2024

सेवा में,

महालेखाकार,
(ए0 एण्ड ई0),
उ0प्र0 प्रयागराज।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

(कपिल देव भारती)
अनु सचिव।

संख्या:-150(A)/A071-20242025-71-2005-001-31-2023-1, दिनांक- 20 नवम्बर, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
(3) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
(4) नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग।
(5) कोषाधिकारी, सीतापुर।
(6) निदेशक/सचिव, नेहरू इंस्टीटयूट आफ आप्थमोलॉजी एण्ड रिसर्च, सीतापुर।
(7) मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर।
(8) वित्त ई-3
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

21/11/24